

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
आदेश पत्रिका

प्रकरण दर्ज दिनांक

प्रकरण क्रमांक : 16/2021

आवेदक : मुनीयस बाघरा

U/s B-1 नियमों के अन्तर्गत GRERA-P-Exc.m.PRO-2019-00862

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर


07/09/2021

प्रकरण आज वी.सी. के माध्यम से सुनवाई में लिया गया।
आवेदक द्वारा श्री फिजी अधिवक्ता।
अनावेदकगण एकपक्षीय।
प्रकरण आज आर.आर.सी. जारी किये जाने हेतु नियत
है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित
है कि माननीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23.06.2020 को आदेश
पारित कर अनावेदकगण को Rs. 8,23,163 (आठ लाख तेईस हजार
एक सौ तिरसठ रू. मात्र) दो माह के भीतर, आवेदक को, भुगतान
करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु यह
निष्पादन प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में दिनांक 08.07.
2021 को अनावेदक वरेंद्र सिंह एवं दिनांक 03.08.2021 को
अनावेदक अमरजीत सिंह के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई
आवेदकगण ने आवेदक को आदेशित राशि का भुगतान भी नहीं
किया है। ऐसी दशा में आदेशित राशि की वसूली हेतु धारा- 40(1)
छ.ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016, एवं
अंतर्गत नियम 25 छ.ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम
2017. के तहत आर.आर.सी. जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत
होता है।

अतः Rs. 8,23,163 (आठ लाख तेईस हजार एक सौ
तिरसठ रू. मात्र) की वसूली हेतु आर.आर.सी. कलेक्टर महोदय को
इस टीप के साथ जारी की जावे कि वे वसूल की गई उपरोक्त
राशि को प्राधिकरण में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। आर.आर.
सी. तामिली हेतु रजिस्ट्रार महोदया को प्रेषित की जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया
जावे।


न्याय निर्णायक अधिकारी
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर